न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी :— श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 20/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :— 2021/205

उनवान

जवर खॉं पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम सादपुरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. अफसीना वेवा आसमौहम्मद पत्नि पप्पू पुत्र शेरखॉं जाति मेव निवासी धन सिंह का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. सायवा पुत्री आस मौहम्मद नावालिग जरिये संरक्षक माता अफसीना वेवा आसमौहम्मद जाति मेवा निवासी धन सिंह का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. तहसीलदार तहसील नगर जिला भरतपुर।

................................रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर नगर दि0 30.09.2019 प्र.सं. 123/13 उनवानी अफसीना बनाम जबर खॉं।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री समय सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री नीरज कुमार वर्मा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक— 24.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88—89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 5 रकवा 3.14 है0 वाके ग्राम सादपुरी तहसील नगर में वादिया अफसीना के पति आसमौहम्मद का 1/8 हिस्सा है। आसमौहम्मद की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी जवर खॉं व अन्य परिजनो की भावना वादिया के प्रति अच्छी नहीं रही तथा वह वादिया को तंग व परेशान करते थे। इस पर अन्य रिश्तेदारो के समक्ष प्रतिवादी जवर खॉं ने आसमौहम्मद के हिस्से की आराजी वादिया को हमेशा हमेशा को काश्त के लिये दे दिया, तभी से वादनी विवादित आराजी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प—डीग

1/8 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। परन्तु बाद में प्रतिवादी जवर खॉ के मन में बदयान्ति आ गयी एवं वह विवादित आराजी से वादिया को बेदखल करने की धमकी देने लगा। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार विवादित आराजी में 1/8 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादिया/रैस्पो0 स्वच्छ हाथो से नहीं आये हैं। प्रथम तो वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के नाम ही नहीं थी बल्कि उनके पिता भागमल के नाम थी इसलिये जवर खॉ को उक्त आराजी पर रैस्पो0 को काश्त पर बताने का कोई अधिकार ही नहीं था। द्वितीय यदि आराजी जवर खॉ ने काश्त हेतु दे दी थी तो रैस्पो0 ने यह नहीं बताया कि विवादित आराजी कब कौनसे सन् या माह को काश्त करने हेतु दी थी। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को रैस्पो0 के लिये कभी काश्त हेतु नहीं बताया। इसके अलावा काश्त पर बताने के आधार पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी प्रावधान के तहत रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित नहीं हो सकते। प्रकरण में रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के दो पुत्रो के अलावा उसकी एक पुत्री सब्बा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री अपास्त योग्य है। वैसे भी मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि रैस्पो0, अपीलाण्ट के पुत्र की मृत्यु के पश्चात् हमेशा हमेशा के लिये अपना समस्त सामान लेकर चली गयी और उसने विधिवत रूप से मुस्लिम विधि के अनुसार पप्पू पुत्र शेरखॉ मेव निवासी धन सिंह का नगला तहसील कठूमर के साथ निकाह कर लिया और उसके साथ वह बतौर पत्नि निवास कर रही है, इसलिये विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिये भी विवादित आराजी में उसका कोई हिस्सा व हक नहीं बनता है। अन्त में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में कथन किये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर पेश की है। जबकि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की बखूबी जानकारी रही है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प—डीग

पर ही खारिज योग्य है। अपीलाण्ट दावे में लगातार उपस्थित रहे हैं एवं फिर बार में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर 2015 सप्ली0 सी.सी.सी पेज 418 का उद्धरण पेश किया। गुणावगुण पर रैस्पो0 के अभिभाषक ने तर्क दिये कि जवर खॉ के अन्य वारिसो ने कोई अपीलाधीन आदेश की कोई अपील पेश नहीं की गयी है। यदि अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही हुयी थी, तो अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में 9 नियम 13 के तहत कार्यवाही को स्वतंत्र थे। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है एवं ना ही अपील में अब्बास व सब्बा को ही पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 09.07.2021 को लगभग 04 वर्ष 10 माह की देरी से प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुयी थी। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं हो सका। सर्वप्रथम दिनांक 30.06.2021 को पटवारी हल्का से मिलने पर एवं जमाबन्दी में अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन का नोट अंकित होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो सकी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। हमने गौर किया। मियाद का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मियाद के तकनीकी बिन्दु का उपयोग पक्षकारो के अधिकारो को समाप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना, न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। यदि अपील गुणावगुण पर पूर्णतः शून्य हो तो ही मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपीलाण्ट को रोका जा सकता है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुए, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर, हम प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करना वांछनीय पाते हैं।

6. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2068–71 में विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता भागमल का नाम दर्ज है। रैस्पो0 द्वारा भागमल के पुत्र जवर खॉ के 1/8 हिस्से में से 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं एवं इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित की है। परन्तु हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति से सहमत हैं कि रैस्पो0 द्वारा जवर खॉ के पुत्र अब्बास व पुत्री सब्बा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जबकि वह दावे में आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस ओर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश से रैस्पो0 के दावे को डिक्री करने में कानूनी भूल की है। जबकि रैस्पो0 ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

दावे में अंकित सजरा में जवर खॉ के दो पुत्र मृतक आसमौहम्मद एवं अब्वास को अंकित किया गया है। इसके अलावा जवर खॉ की एक पुत्री सब्वा का भी होना, अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रैस्पो0 ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। लिहाजा अपीलाधीन डिक्री भी दूषित हो जाती है। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील में उठायी गयी अन्य आपत्तियॉ यथा मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं होते एवं रैस्पो0 द्वारा अपने पति आसमौहम्मद की मृत्यु उपरान्त पुनः निकाह कर लिया है एवं विवादित आराजी पर उसका कोई कब्जा काश्त नहीं है आदि बावत् हम पाते हैं कि चूंकि रैस्पो0 द्वारा जवर खॉ के विधिक वारिसान को दावे में पक्षकार नहीं बनाने के कारण अपीलाधीन डिक्री पूर्णतः दूषित पायी गयी है। अतः हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को जवर खॉ के विधिक वारिसो को प्रकरण में पक्षकार जोडते हुये एवं अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये व हस्तगत अपील में उठायी गयी आपत्तियों बावत् विधिअनुसार निस्तारण करते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्टभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प डीग